महत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्या:- 10 /78-2-2010/53-आई.टी./08

प्रेषक,

चन्द्र प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊ दिनाँक : 10 ~~दिसम्बर~~ जनवरी, 2010

विषयः- नेशनल ई-गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे (एसएसडीजी) योजना में इलेक्ट्रानिक फार्म (ई-फार्म्स) द्वारा जनसामान्य को उपलब्ध कराई जाने वाली विभिन्न शासकीय सेवाओं को जन सेवा केन्द्रों (कामन सर्विस सेन्टर)/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

नेशनल ई-गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत जनसामान्य को स्थानीय स्तर पर विभिन्न सरकारी सेवाओं (जी2सी सेवायें) की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कामन सर्विस सेन्टर (सीएससी) योजना के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में 17909 जन सेवा केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। इन केन्द्रों के माध्यम से विभिन्न सरकारी सेवाओं (जी2सी सेवायें) की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रथम चरण में ***पंचायतीराज, राजस्व, श्रम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, विकलांग कल्याण, समाज कल्याण, महिला कल्याण, ग्राम विकास विभाग, नगर विकास विभाग तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग*** की कुल 35 सेवाओं को इलेक्ट्रानिक डिलीवरी सिस्टम् द्वारा उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि योजना में विभिन्न स्तरों पर उपयोग किए जाने वाले यूजर आईडी पासवर्ड तथा प्रमाण-पत्रों पर हस्ताक्षर हेतु निम्नानुसार अनुमन्यता प्रदान की जाती हैः-

1. योजना के अन्तर्गत विभिन्न चयनित सेवाएं जो कि जन सेवा केन्द्रों (कामन सर्विस सेन्टर)/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों से उपलब्ध करायी जाएंगी, के लिए उत्तरदायी विभिन्न विभागों (जनपद स्तर के विभागों को सम्मिलित करते हुए) में सक्षम स्तर पर इलेक्ट्रानिक प्रोसेस द्वारा प्रकरणों के निस्तारण किए जाने का भी निर्णय लिया गया है जिसके लिए सक्षम स्तर द्वारा विभिन्न सेवाओं के लिए अपनी संस्तुति/स्वीकृति इलेक्ट्रानिक माध्यम से डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग करते हुए दी जाएगी। डिजिटल सिग्नेचर एवं इससे सम्बन्धित प्रक्रिया को आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश संख्याः 1682/78-2-2010/ 53-आई.टी./08 दिनांक 1 दिसम्बर 2010 द्वारा अनुमन्यता प्रदान की जा चुकी है।

2. योजना के अन्तर्गत उक्त विभिन्न केन्द्रों से जो प्रमाण-पत्र निर्गत किए जाएंगे उन पर सम्बन्धित केन्द्रों के अधिकृत व्यक्तियों को केन्द्र की मोहर के साथ इस आशय के प्रमाण कि ***"अमुक प्रमाण-पत्र जिसे शासन द्वारा अधिकृत किस केन्द्र से शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित किए जाने के उपरान्त जारी किया जा रहा है"*** हस्ताक्षर किए जाने की अनुमन्यता प्रदान की जाती है। जन सुविधा केन्द्रों एवं लोकवाणी केन्द्रों पर हस्ताक्षर हेतु जिलाधिकारी द्वारा जिला स्तर पर दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत सम्बन्धितों को अधिकृत किया जाएगा जबकि जन सेवा केन्द्रों (कामन सर्विस

सेन्टर) के लिए चयनित ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई) को सम्बन्धित जनपदीय सर्विस सेन्टर एजेन्सी (एससीए) द्वारा अधिकृत किया जाएगा तथा प्रत्येक केन्द्र के लिए अधिकृत किए जाने वाले कर्मी की सूचना सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को दी जाएगी। जन सेवा केन्द्रों द्वारा जारी प्रमाण-पत्रों में उनके स्तर से यदि किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है तो सुसंगत नियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्बन्धित सर्विस सेन्टर एजेन्सी (एससीए) के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

3. योजना के अन्तर्गत सेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु विकसित पोर्टल का डिलीवरी केन्द्रों से इन्टफेस प्रदान करने हेतु समस्त केन्द्रों को यूजर आईडी एवं पासवर्ड की आवश्यकता होगी जिसके लिए एनआईसी द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाएगी तथा जन सेवा केन्द्र(कामन सर्विस सेन्टर) के लिए सम्बन्धित जनपदों की चयनित सर्विस सेन्टर एजेन्सी (एससीए) को यूजर आईडी एवं पासवर्ड सीधे उपलब्ध कराए जाएंगे तथा सर्विस सेन्टर एजेन्सी द्वारा ये पासवर्ड सम्बन्धित जनपदों के जन सेवा केन्द्रों के वीएलई को आवंटित करते हुए उनका प्रबन्धन/रख-रखाव किया जाएगा तथा वीएलई को आवंटित यूजर आईडी एवं पासवर्ड का विवरण एनआईसी को उपलब्ध कराते हुए इसकी प्रति सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को भी भेजी जानी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाएगी। एनआईसी के माध्यम से सर्विस सेन्टर एजेन्सी (एससीए) को उपलब्ध कराए यूजर आईडी एवं पासवर्ड का यदि सर्विस सेन्टर एजेन्सी (एससीए) अथवा उनके वीएलई द्वारा दुरूपयोग किया जाता है तो उसके लिए सम्बन्धित सर्विस सेन्टर एजेन्सी (एससीए) उत्तरदायी होंगी तथा सुसंगत नियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्बन्धित सर्विस सेन्टर एजेन्सी (एससीए) के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

कृपया उपरोक्तानुसार समस्त अपेक्षित कार्यवाहियॉ प्राथमिकता पर पूर्ण कराते हुए शासन को अवगत कराया जाए।

भवदीय,

(चन्द्र प्रकाश)
प्रमुख सचिव

संख्याः- 10 (1)/78-2-2010 तददिनॉक

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. उप महानिदेशक एवं एसआईओ, एन.आई.सी., उत्तर प्रदेश।
3. राज्य समन्वयक, सेण्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, उत्तर प्रदेश।
4. एसएसडीजी योजना के कन्सलटेन्ट मै. आई.एल. एण्ड एफ.एस.।
5. कामन सर्विस सेन्टर योजना में चयनित तीनों सर्विस सेन्टर एजेन्सीज यथा- मै. एसआरईआई इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेन्स लि., मै. सीएमएस कम्प्यूटर लि. एवं मै. वयम टेक्नालॉजी लि.।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार तिवारी)
अनुसचिव